# न्यायालय जिला कलक्टर, भरतपुर

**अपील/राजस्व/33/2019**

बदनसिंह पुत्र स्व0 रामप्रसाद जाति जाट निवासी ग्राम चितौकरी तहसील व जिला भरतपुर।

**....अपीलान्ट**

**बनाम**

1. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये श्रीमान जिला कलक्टर भरतपुर।
2. तहसीलदार भरतपुर।

**.....रेस्पो0**

**अपील खिलाफ आदेश नामान्तकरण संख्या 109 दिनांक 20.02.1968 ग्राम पंचायत बांसीखुर्द तहसील व जिला भरतपुर बाबत साविक आराजी खसरा नम्बर 414 रकबा 17 विस्वा हाल बंदोबस्ती ख0न0 129 व 130 गैर मुमकिन आबादी वाके ग्राम चितौकरी तहसील व जिला भरतपुर।**

---

**उपस्थित :–**
1–श्री रमनलाल मित्तल अभिभाषक अपीलाण्ट।
2–राजकीय अभिभाषक।

## निर्णय

**दिनांक 22.12.2021**

अपीलान्ट द्वारा यह अपील विरूद्व रेस्पो0 व खिलाफ आदेश ग्राम पंचायत बांसीखुर्द के निर्णय दि0 20.02.1968 नामान्तकरण संख्या 109 ग्राम पंचायत बांसीखुर्द के विरूद्व प्रस्तुत की है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रैस्पोडेण्ट के विरुद्व नोटिस जारी किये गये एवं तहत पत्रावली तलब की गई। योग्य अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

योग्य अभिभाषक अपीलान्ट ने अपने अपील में अंकित कथनों को दोहराते हुये जाहिर किया है कि अपीलान्ट के बाबा नत्थी के स्वागित्व व कब्जे की भूमि खसरा नम्बर 414 रकबा

जिला कलक्टर
भरतपुर (राज0

17 विस्वा वाके ग्राम चितौकरी तहसील व जिला भरतपुर में स्थित हाल बंदोबस्ती खसरा नम्बर 129 व 130 बने है जिस पर अपीलान्ट का पूर्वजों के जमाने से वाहैसियत मालिक काबिज चला आ रहा है और मौके पर पूर्वजों के जीवनकाल से गौत नौहरा पशु बांधने व पशुपालक के निवास के उपयोग हो रहा है। मौके पर अपीलान्ट की पुख्ता पाटौर, पशुओं के चारे हेतु भुसा स्टोर की करने की बुर्जी, बिटौरा कच्चा बगला आदि बने हुये है तथा चचेरे भाई साहबसिंह के नाम से विद्युत कनैक्शन भी लिया हुआ है व शीशम के तीन, नीम के तीन, एक पेड शिरस व बबूल का लगाया है जो कि मौके पर मौजूद है व निर्माण सामग्री ईट पत्थर आदि रखे हुए है। इस भूमि के चारो ओर गॉव की आबादी बसी हुई है। राजस्व रिकार्ड में सम्वत् 2025 तक अपीलान्ट के बाबा नत्थी सिंह वाहैसियत मालिक दर्ज है परन्तु अवैध रूप से साविक खसरा नम्बर 414 रकबा 17 विस्वा वाके ग्राम चितौकरी को कलैक्टर साहब भरतपुर के बिना हस्ताक्षर व मौहर, बिना तारीख का दिनांक 05.05.1967 का कूटरचित बिना अधिकार के अवैध व शून्य आदेश को आधार मानकर पटवारी हल्का ने नामान्तकरण खोलने की कार्यवाही ग्राम पंचायत के नाम दिनांक 20.02.1968 को इन्द्राज करने के आदेश दिये है। उक्त समस्त कार्यवाही कलक्टर साहब भरतपुर के आदेश दिनांक 05.05.1967 व इसके आधार पर चारागाह घोषित कर ग्राम बांसी के नाम दिनांक 20.02.1968 को नामान्तकरण स्वीकार करने की कार्यवाही व मुकाबले अपीलान्ट अनाधिकार, अवैध एवं शून्य तथा कूटरचित व अस्तित्वहीन है। इसके बाद अपीलान्ट के बाबा नत्थी का नाम राजस्व रिकार्ड से कलमजन कर सरकार का नाम दर्ज कराने की कार्यवाही की गई है जो कि अवैध व शून्य है। अपीलान्ट के स्वामित्व व कब्जे की भूमि हाल खसरा नम्बर 129 व 130 आबादी भूमि है और चारो ओर से ग्राम चितौकरी की आबादी बसी हुई है। तहसीलदार भरतपुर द्वारा दिनांक 18.06.2019 को पटवारी व जेसीबी लेकर अपीलान्ट को बिना किसी प्रकार का नोटिस दिये, बिना कानूनी आदेश के अपीलान्ट की बिना जानकारी के गौत, नौहरा आदि तोडने बिना कानूनी प्रकिया व बिना कानूनी अधिकार के गांव की विरोधी पार्टी से षडयन्त्र कर तोडने पहुचे व मुश्किल उन्हे वापस भेजा किन्तु सात दिन बाद पुलिस लेकर पुनः तोडने व बेदखल करने की धमकी दी गई। अपीलाधीन आदेश बिना किसी लिखित आदेश के आधार बनाकर फर्जी व अवैध नामान्तकरण अपीलान्ट की खातेदारी को काटकर चारागाह घोषित किया है जो कि अवैध व अनाधिकार है। विवादित भूमि निरन्तर व हमेशा से अपीलान्ट के गौत व नौहरे के काम आ रही है जिसका दीवानी दावा न्यायालय सिविल न्यायाधीश भरतपुर में उनवानी बदनसिंह बनाम राज्य सरकार विचाराधीन है। अपीलाधीन आदेश की जानकारी अपीलान्ट को तहसीलदार भरतपुर द्वारा प्रकरण में जबाब देने के बाद हुई जबकि अपील दिनांक 20.02.1968 की कोई जानकारी नही थी और ना ही आदेश पारित करने से पूर्व या पश्चात् अपीलान्ट को इस सबंध में कोई जानकारी दी गई थी। जबाब देने से हुई जानकारी के बाद ही नकल लेने की कार्यवाही की गई। देरी के लिए पृथक से धारा 5 म्याद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश किया



जिला कलेक्टर
भरतपुर (राज०)

गया है। अन्त में अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश दिनांक 20.02.1968 नामान्तकरण संख्या 109 ग्राम पंचायत बांसीखुर्द को निरस्त फरमाने की प्रार्थना की है।

राजकीय अभिभाषक ने अपने तर्कों में जाहिर किया कि ग्राम पंचायत बांसीखुर्द तहसील व जिला भरतपुर द्वारा नामान्तकरण संख्या 109 दिनांक 20.02.1968 द्वारा जिला कलक्टर भरतपुर के आदेश दिनांक 05.05.1967 के तहत दर्ज किया गया है। अपीलाधीन आदेश उचित व सही है। अन्त में राजकीय अभिभाषक द्वारा अपील खारिज किये जाने का निवेदन किया गया।

हमने पत्रावली का अध्ययन किया। योग्य अभिभाषक उभय पक्ष के कथनों पर गौर व मनन किया गया। अपीलान्ट द्वारा यह अपील नामान्तकरण संख्या 109 दिनांक 20.02.1968 की ग्राम पंचायत बांसी खुर्द तहसील व जिला भरतपुर की लगभग 51 वर्ष बाद प्रस्तुत की गई है। अपीलान्ट द्वारा गत खसरा नम्बर 414 रकबा 17 विस्वा वाके ग्राम चितौकरी तहसील भरतपुर जिसका हाल बंदोबस्ती खसरा नम्बर 129, 130 बने है। इन पर अपीलान्ट के पूर्वजों के जमाने से ही वाहैसियत मालिक काबिज होना अंकित किया है एवं अपने चचेरे भाई साहबसिंह द्वारा विद्युत कनैक्शन भी लेना अंकित किया है। लेकिन इन तथ्यों को प्रमाणित करने हेतु अपीलान्ट द्वारा किसी भी प्रकार का साक्ष्य एवं सबूत पेश नही किया है। अपील भी लगभग 51 वर्ष बाद पेश की गई है। यह नामान्तकरण संख्या 109 जिला कलक्टर भरतपुर के आदेश दिनांक 05.05.1967 की पालना में इन्द्राज किया गया है। यदि अपीलान्ट के हक हकूकों पर किसी प्रकार का विपरीत असर पड रहा था तो उसे जिला कलक्टर भरतपुर के आदेश दिनांक 05.05.1967 के सबंध में सक्षम न्यायालय में कार्यवाही करनी चाहिये थी। अपीलान्ट अपील के तथ्यों को प्रमाणित करने में असमर्थ रहा है। अस्तु अपील अपीलान्ट काबिल खारिज के रहती है।

**अतः आदेश है कि :–**

उपरोक्त विवेचनानुसार अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 29.12.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(हिमांशु गुप्ता)
जिला कलक्टर,
भरतपुर